प्रेस नोट संख्या-34 थाना सचेण्डी कानपुर नगर।

दिनांक: 20.06.2024

हत्या की घटना मे संलिप्त वांछित/इनामिया अभि0 की गिरफ्तारी

घटनाक्रम के अनुसारः-दिनाँक 18.05.2024 को मृतक अजय कमल का शव टोयटा शोरूम चकरपुर के आगे हाइवे के किनारे मिला था जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता कन्हई कमल निवासी ग्राम भिसार थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना सचेण्डी कानपुर नगर पर मु0अ0सं0 158/2024 धारा 147/302 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तगणों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या पुत्र स्व0 श्याम बिहारी शुक्ला निवासी मर्दनपुर थाना गुजैनी कानपुर नगर हालपता 5658 साइड नं0 2 पनकी पंक बहादुर नगर थाना पनकी जनपद कानपुर नगर फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम कानपुर नगर द्वारा 25000/-रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना सचेण्डी पर टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा थ जिसके क्रम में दिनांकः 19.06.2024 को थाना सचेण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या को भौती से सुरार वाले रोड पर रघुनाथपुर के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद ओमनी कार संख्या UP78DV0627 बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अग्रेतर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या उपरोक्त को जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सत्यदेव शुक्ला उर्फ सत्या पुत्र स्व0 श्याम बिहारी शुक्ला निवासी मर्दनपुर थाना गुजैनी कानपुर नगर नगर हालपता 5658 साइड नं0 2 पनकी पंक बहादुर नगर थाना पनकी जनपद कानपुर नगर

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 158/2024 धारा 147/302 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सचेण्डी कानपुर नगर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0श्री प्रेमवीर सिंह चौकी प्रभारी रैकेपुर थाना सचेण्डी कानपुर नगर।
2. उ0नि0श्री संदीप कुमार थाना सचेण्डी कानपुर नगर।
3. हे0का0 740 रामवीर सिंह थाना सचेण्डी कानपुर नगर।